न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 476/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
दूदाराम पुत्र शिवजीराम जाति मेघवाल निवासी नाडसर, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1– भगवानराम पुत्र कानाराम 2– झणकारी पत्नी कानाराम जातियान मेघवाल निवासी नाडसर, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3– रामाअवतार पुत्र मांगीलाल जाति बावरी निवासी नाडसर, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 69/2015 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पी0आर0मेघवाल अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम नाडसर की सरहद मे खसरा नंबर 40/3/मिन रकबा 5 बीघा भूमि उनके खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है जिसके दक्षिण दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट) का खेत खसरा नंबर 40/18 आया हुआ है, जो उसके खेत पर अतिक्रमण करने तथा लडाई झगडा करने को आमदा है इसलिए प्रार्थी अपने खेत का सीमांकन करवा कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–5–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार करते हुए तहसीलदार भोपालगढ को वादग्रस्त आराजी का सीमांकन कर नियमानुसार पत्थरगढी राजस्व कार्मिको की टीम गठित कर करने हेतु आदेशित किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनियां भूल की है तथा कथन किया कि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी का आदेश उसी सुरत मे दिया जा सकता है जब पत्रावली पर कोई

अविवादित पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध हो जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध ही नही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पैमाईश रिपोर्ट के अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र का विधिवत जवाब पेश कर दिया गया था जिसमे बहुत से तथ्यात्मक एवं कानूनी बिन्दु उठाये गये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओ पर बिना कोई जांच किये उन्हे नजरअंदाज करते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली का कोर्ट कैम्प मे फेसला कर दिया तथा कोर्ट की आदेशिका मे अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये जबकि पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट तलबी मे चल रही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की भूमि के पास रेस्पो0 संख्या 1 की कोई भूमि ही नही है बल्कि पडौस मे सोहनराम की भूमि है, इसके बावजुद रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत नक्शा बनाकर पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का उसके खातेदारी से अधिक भू भाग पर कब्जा है तथा हमारी खातेदारी पर भी कब्जा करने को उतारू होने पर हमने हमारे खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत स्वीकार करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह सही होने से उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकर्ड आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट तलबी मे विचाराधीन थी तथा पत्रावली को लोक अदालत मे ले जाने बाबत पक्षकारो को नोटिस या सूचना दिये बिना ही प्रकरण का लोक अदालत मे निस्तारण कर दिया जाना प्रकट होता है । आदेशिका दिनांक 25–4–2016 के अवलोकन से सीलनुमा आदेशिका मे दोनो पक्षकार प्रकरण को लोक अदालत मे रेफर करने हेतु सहमत होने का उल्लेख किया हुआ है जबकि उक्त आदेशिका पर पक्षकारान के कोई हस्ताक्षर नही है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कोई पैमाईश रिपोर्ट ही उपलब्ध नही है जबकि बिना पैमाईश रिपोर्ट के विधिवत पत्थरगढी का आदेश पारित किया ही नही जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानो के अनुरूप नही होने से निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे वर्तमान अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब एवं प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत की थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन प्राथमिक आपत्तियो पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–5–2016 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत पैमाईश रिपोर्ट तलब की जाये तथा विवाद की स्थिति मे दोनो पक्षो को सुनकर पुनः विधिवत निर्णय पारित किया जाये ।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर